

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60506/वो-1/2023-24/

दिनांक : 25-1-2023

आदेश

शैक्षिक सत्र 2023-24 में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के नवीन मान्यता/क्रमोन्नति, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त संकाय, स्थान परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन एवं वर्चुअल स्कूल मान्यता आदि के प्रकरणों हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 01.01.2023 से पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिनका क्रियान्वयन/निस्तारण निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार किया जाना है।

वर्तमान समय में पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाईन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं अतः विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट एवं एनआईसी जयपुर से चर्चा उपरान्त पूर्व में निर्धारित टाईम फ्रेम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	गतिविधि	पूर्व निर्धारित टाईम फ्रेम	संशोधित टाईम फ्रेम
1.	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर आवेदन ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मंजूर/समस्त सूचना लौक करना।	साामान्य शुल्क 01.01.2023 से 31.01.2023 तक	साामान्य शुल्क 01.01.2023 से 10.02.2023 तक
		विलम्ब शुल्क 01.02.2023 से 10.02.2023 तक	विलम्ब शुल्क 11.02.2023 से 20.02.2023 तक



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :

सत्यमेव जयते

1. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. तकनीकी निदेशक, NIC जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरावतानुसार पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करावें।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर